आर. ई. ओ. 12

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्डएम०/फा:सामान्यशाखा/प्रे० 359 दिनांक:- 10.5.02

परिपत्र

विषयः- **वर्ष 2002-2003 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में ।**

वर्ष 2002-2003 मे कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के सम्बन्ध में विद्युत निगमो की समन्वय समिति की दिनांक 30.04.2002 की बैठक मे निम्नलिखित निर्णय लिये गये है।

1. सभी वितरण कम्पनियो के लिये चालु वितीय वर्ष 2002-03 में कुल 15,000(5000 प्रत्येक वितरण निगम) कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अत अधीक्षण अभियन्ता (प व स) यह सुनिश्चित करे कि उनके वृत के लिये दिये गये कृषि कनेक्शनो के निर्धारित लक्ष्यो के अनुरूप ही पूरे किये जावें ।

2. (अ) स्पेशल स्कीम के कृषि कनेक्शनो के लिये नये आवेदन पत्र 15 मई 2002 से 15 जून 2002 तक प्राप्त किये जावे । इस योजना अन्तर्गत आवेदन सिर्फ एक महीने की अवधि के लिये ही किया जा सकेगा । 15.06.2002 के बाद इस योजना मे कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किये जावे । जो प्रार्थना पत्र इस श्रेणी मे पूर्व मे प्राप्त हो चुके है तथा अभी तक उनके मांग पत्र जारी नहीं किये गये है उनमे से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदको को इसी वर्ष मे मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने हैं ।
   (ब) वर्ष 2002-03 मे सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदनो की एक वर्ष बढाई गई कट ऑफ डेट का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न है एवं जिनके इस वितीय वर्ष मे मांग पत्र जारी करने है । जिन आवेदको के नाम पिछले वर्ष कट आफ डेट मे शामिल थे तथा किसी कारणवश डिमान्ड नोट जारी नही हो सके थे उनमे से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदको को इस वर्ष मे मांग पत्र जारी करने है ।

3. राज्य के सभी अनुसूचित जाति के तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्रो पर तकनीकी साध्यता अनुसार मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान पहले ही किया हुआ है ।

4. सामुदायिक जलोत्थान योजना मे जितने भी प्रार्थना पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इस वित्तीय वर्ष मे जो नये आवेदन पत्र प्राप्त होते है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष मे लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रासफॉर्मेशन चार्जेज रू 1450/- प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी करने है । उक्त आवेदको के मांग पत्र जमा होने पर एवं पूर्व मे जिन आवेदको ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष मे कनेक्शन देने है ।

5 सामान्य एव स्पेशल स्कीम के ऐसे आवेदको को जिनके 11 केवी लाइन के.वी. आर 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नही किये गये है तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदको को मांग पत्र जारी कर दिये है , ऐसे छूटे गये आवेदको के 11केवी लाईन के. वी.आर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से कम हो गये हो तो उनके मांग पत्र इसी वित्तीय वर्ष मे जारी करने है तथा शेष आवेदको के 11 केवी लाईन के जब भी वी. आर 8 प्रतिशत से कम हो जावे उनको मांग पत्र तत्काल जारी कर दिये जावें ।

6 जिन आवेदको ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा कराके एल.फार्म (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये है , उनको माह का आधार मानते हुए प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन जारी किये जावें ।

7 सभी श्रेणियो के लिये पोल चार्जेज , ट्रासफॉर्मेशन चार्जेज तथा अन्य चार्जेज पूर्व मे जारी आदेशानुसार लिये जायेंगे ।

8 स्पेशल स्कीम मे जारी किये गये एव भविष्य मे जारी होने वाले समस्त कनेक्शनो को उनकी सामान्य श्रेणी की उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदको के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिया जावे। तब तक इस स्कीम मे जारी किये गये कनेक्शनो को वर्तमान मे प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग किया जावे ।

उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें ।

सलंग्न उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)

उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्काम, जोधपुर